

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

..... बनाम
किस्म मुकदमा नं. 285 सन् 2021

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 07.04.2021 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य विवादित भूमि बाबत विवाद समाप्त हो जाने तथा अब मुकदमें में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्धा कर खारीज किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्धा कर खारिज किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> | <p>(विश्वसिंह)</p> |

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

